भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 190989

(घ) "एक्सक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल (Executive Trust Council)" का तात्पर्य ट्रस्ट के कार्य सम्पादनी से है।

(घच) "मेम्बर आफ एक्सक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल (Member of Executive Trust Council)" का तात्पर्य ट्रस्ट के कार्य सम्पादनी सभा के सदस्यों से है।

(ध) "बोर्ड (Board)" का तात्पर्य ट्रस्ट के उस परिषद से है, जिसे किसी विशेष प्रयोजन हेतु ट्रस्ट की व्यवस्थापक सभा द्वारा गठित कर उस प्रयोजन को सम्पन्न कराने का अधिकार दिया जाय।

(स) "सम्बद्ध समिति" का तात्पर्य उस समिति से है जो विधिवत सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अर्न्तगत पंजीकृत हो तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट उन्हें अपने से सम्बद्धता प्रदान किया हो।

(जै) "महानिदेशक (Director General)" का तात्पर्य मुख्य ट्रस्टी अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति विशेष से है।

(झ) "निदेशक" से तात्पर्य ट्रस्ट प्रबन्ध (व्यवस्थापक सभा) सभा द्वारा चयनित या मुख्य ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति विशेष से है।

(ट) "सचिव" से तात्पर्य ट्रस्ट के विभिन्न अंगों के अलग-अलग नामित या चयनित सचिवों से है।

Secretary
Dashain Institute of Medical Sciences
Dongoli (Mau) U.P.

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 190988

ट्रस्ट की स्मृति पत्र

1. ट्रस्ट का नाम– दशरथ वेलफेयर एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट

2. ट्रस्ट का पता – ग्राम व पोस्ट–डंगौली, तहसील– सदर ,जनपद–मऊ–275306(उ०प्र०)

3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण भारत वर्ष एवं विदेशो में भी ट्रस्ट कार्य कर सकेगा।

4. ट्रस्ट का उद्देश्य – ट्रस्ट का निम्नलिखित उद्देश्य है।

1– भारतीय संस्कृत परम्परा के आधार पर सादा जीवन उच्च विचार आधारित प्रारम्भिक विद्यालय से लेकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना जिसमें भारतीयता, सामाजिकता, स्वदेश प्रेम, समाज सेवा आदि की भावना उत्पन्न हो।

2– साहित्यिक , वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक, खगोलीय, भाषा, ज्ञान, प्रकृति, प्राणी, जड़, जंगम, आदि विषयों पर शोध करना।

3– बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कर सच्चरित्र नागरिक बनाना।

4– छात्रावास, पुस्तकालय, वाचनालय, विभिन्न विषयों पर प्रयोग एवं शोध हेतु प्रयोगशालाएँ आदि स्थापित एवं संचालित करना तथा राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास एवं प्रचार–प्रसार करना।

5– बालक–बालिकाओ में अनुशासनात्मक ढंग से शिक्षा ग्रहण करने की भावना उत्पन्न करना एवं को– एजुकेशन पर आधारित विभिन्न प्रशिक्षण व शोध आदि संस्थानों की स्थापना व संचालन करना।

6– आर्थिक रूप से कमजोर एवं असहाय लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ट्रस्ट से सम्बन्धित सदस्यों, पदाधिकारी गण एवं कर्मचारियों को आर्थिक, चिकित्सकीय आदि प्रकार की सुविधा प्रदान करना। साथ ही ट्रस्ट से जुड़े सदस्यों, पदाधिकारियों , कर्मचारियों के परिजनों हेतु पालन–पोषण, रहन–सहन, आर्थिक, शिक्षा हेतु , मकान बनवाने, दुकान की स्थापना करने एवं रोजगार देने हेतु विशेष व्यवस्था एवं मदद करना।

प्राचार्य
दशरथ इन्स्टीट्यूट ऑफ
मेडिकल साइंस डंगौली

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 190987

7–मातृ एवं शिशु कल्याण हेतु जच्चा–बच्चा स्वास्थ्य केन्द्रो की स्थापना व संचालन करना।

8–विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु छात्रावास, खेलकूद, एवं देशाटन तथा जीम हाउस आदि की व्यवस्था एवं संचालन करना। शिशु/बालकों/विद्यार्थियो/प्रौढ़ों हेतु के विशेष बौद्धिक-शिविर-लगाकर विभिन्न ज्वलन्त विषयों की जानकारी देना एवं प्रशिक्षित करना जिससे समाज एवं राष्ट्र की सुरक्षा हो सकें।

9–पूरे देश एवं समाज में समाजवादी सोच एवं सम रसता की भावना उत्पन्न करना तथा देश की एकता और अखण्डता हेतु विभिन्न जनहित एवं राष्ट्रहित के कार्यो का सम्पादन करना व कराना।

10–महिलाओं के विकास हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, कताई, तथा कुकिंग आदि प्रकार के रोजगार परक योजनाओं को बढ़ावा देने एवं महिला समृद्धि को प्रोत्साहित करना। तथा महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें संचालित कराना एवं उनके द्वारा घरेलू एवं लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। स्थापना कराना, उन्हें कच्चे माल की व्यवस्था करना व पक्के माल को बाजार में विक्रय कराना व घरेलू हिंसा जागरुक करना कराना, महिला आयोग, महिला बाल विकास मंत्रालय की सभी कल्याणकारी योजना को संचालित करना।

11–स्वयं सहायता समूहों का गठन करना व कराना तथा व उनके लघु उद्योगों की स्थापना व संचालन कराना तथा उनके द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना व संचालन कराना तथा उन्हें कच्चे माल की व्यवस्था करना व उनके द्वारा तैयार वस्तुओं को बाजार में विक्रय कराना।

12–क्षेत्र में लोगो में सामाजिक, नैतिक, आर्थिक रूप से स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न करना एवं क्षेत्र के बेरोजगारों को प्रशिक्षित कराकर तथा कारीगरों की व्यवस्था करना एवं कराना।

13–खादी ग्रामोद्योग, खादी कमीशन, कपार्ट, डूडा, सूडा, डी० आर० डी० ए० व अन्य सरकारी, अर्धसरकारी या एन० जी० ओ० से जुड़कर या उन्हें अपने साथ जोड़कर उनकी योजनाओं को संचालित करना तथा अपनी योजनाओं को विस्तार हेतु उनके द्वारा संचालित कराना।

रामवतन

प्राचार्य

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AU 190986

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14–अल्प संख्याकों के कल्याण हेतु अल्पसंख्यक विद्यालय, मदरसा संचालित करना एवं उनके विकास व शिक्षण–प्रशिक्षण आदि संसाधनों की व्यवस्था करना तथा अल्पसंख्यक कल्याण आयोग से जुड़कर उसके द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना, कराना व उनका प्रचार–प्रसार करना व कराना तथा अल्पसंख्यक कल्याणकारी संगठनों से जुड़कर उनके हित में कार्य करना व कराना तथा उनके विकास व कल्याण हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण आदि शिवरों का आयोजन करना व कराना तथा उन कार्यों हेतु स्वदेशी व विदेशी संस्थाओं से ऋण, चन्दा व अनुदान तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करना व सहायता देना।

15–अनुसूचित जनजाति एवं दलितों की छात्रों के शिक्षा की उचित व्यवस्था करना तथा उनके कल्याण हेतु कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना। अनुसूचित जाति कल्याण आयोग एवं उ0 प्र0 समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं को विकसित एवं प्रचार–प्रसार करना व कराना एवं उस क्षेत्र में कल्याणकारी कार्य करने वाली संस्थाओं से जुड़कर एवं उन्हें जोड़कर कार्य करना व कराना। विभिन्न संस्थाओं से विश्व बैंक राज्य तथा केन्द्र सरकार से इस हेतु ऋण, चन्दा, अनुदान, सहयोग आदि लेना व देना।

16–वृद्ध विकलांगो के कल्याण हेतु कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना तथा विकलांगो को शिक्षित व प्रशिक्षित करने हेतु विशेष शिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा उन्हें कल्याणकारी व रोजगार परक प्रशिक्षण मुहैया कराकर रोजगार की व्यवस्था कराना। वृद्ध, विकलांग, आश्रम, असहायगृह व अनाथालय आदि की स्थापना करना व कराना तथा इस हेतु ऋण, अनुदान, चन्दा आदि प्राप्त करना व कराना।

17–ईसाई मिशनरीज व ट्रस्टों से जुड़कर कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना व कराना तथा उनसे ऋण, अनुदान चन्दा आदि लेना व देना।

18–असहाय व गरीबों हेतु बिना जाति का ध्यान दिये तथा अन्य लोगों के लिए भी आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना व महिलाओं हेतु हास्टल शिक्षा की व्यवस्था करना तथा सर्व धर्म व समभाव का विकास करते हुए सबके लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन व समाज को समरसता के मार्ग पर चलकर समाज में जीवन यापन करने हेतु प्रोत्साहित करना।

Secretary
[illegible] Medical Sciences
[illegible] (Mau) U.P.

प्राचार्य
दशरथ [illegible]
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AU 190985

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19–मेडिकल कालेज, इंजिनियरिंग कालेज, डिम्ड यूनिवरसिटी ;स्व वित्तपोषित विश्वविद्यालय, पालिटेक्निक कालेज , आई0टी0 आई0 विद्यालय तथा अन्य तकनीकी संस्थाओं , वैज्ञानिक व शोध संस्थानों, मृदा परिक्षण केन्द्रो, सीड व कार्प रिसर्च सेन्टरों ,चिकित्सालयों , छात्रावासों आदि की स्थापना व संचालन करना।

20–जल शुद्धिकरण परियोजना, वायु प्रदूषण से मुक्ति हेतु कल्याणकारी योजनाओं पर शोध कार्य कराना व उनका प्रचार-प्रसार कराना तथा जल, स्थल , वायु , आकाश, मानव, पक्षी, जीव–जन्तु, स्थावर, चल, अचल सभी के कल्याण हेतु कल्याणकारी योजनाओं का संचालन व संवर्धन करना। जल, जंगल, जमीन , चाँद, मंगल तथा अंतरिक्ष में शोध व कल्याणकारी खोज करना व कराना तथा ऐसा करने वाले संस्थाओं से जुडकर कार्य करना व कराना।

21–साक्षरता, महिला कल्याण, विमुक्ति जातियों के कल्याण तथा बाल, वृद्ध विकलांगों के कल्याण हेतु सभी कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना व विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी व एन0जी0ओ0 से जुडकर कार्य करना व कराना।

22–देश तथा विदेशों में भी विभिन्न स्थानों पर कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु अपनी ट्रस्ट की शाखा कार्यालय की स्थापना करना व कराना तथा विभिन्न प्रकार के विद्यालयों जो कि ऊपर वर्णित हैं उनके स्थापना व संचालन करना व कराना। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्यक्षेत्रो में विभिन्न संस्थाओं को सम्बद्ध कर उनके माध्यम से कार्य करना कराना तथा उन्हें ऋण चन्दा आदि लेना व देना।

23–अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा, केन्द्र, प्रौढ शिक्षा केन्द्र, कोचिंग सेन्टरों आदि दृश्य व श्रव्य यंत्रो द्वारा शिक्षा केन्द्र की व्यवस्था व विकास करना।

24–बेरोजगारी उन्मूलन हेतु विभिन्न रोजगार परक कार्यक्रमों का संचालन जो कि केन्द्र सरकार ,राज्य सरकार, , आई0डी0बी0आई0 ,सिडवी, ,लघु उद्योग निगम, नाबार्ड, राष्ट्रीय महिला कोष, ,आर0बी0आई0 एवं विश्व बैंक आदि से संचालित कार्यक्रमों का संचालन व प्रचार–प्रसार करना व कराना।

रामजतन

प्राचार्य

दशरथ इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कालेज

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 190984

25–भारत सरकार के समस्त मंत्रालयो से जुड कर कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना व कराना एंव मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, डब्लू०एच०ओ०, सिडबी, नाबार्ड, नौराड, इकवारा, आई० आर० डी०पी०एस०, जे०आर०वाई० ,अम्बेडकर ग्राम, समग्र ग्राम,स्वजल धारा, एंव सुलभ शौचालय का निर्माण करना ,सिप्सा, ऐप्सा आदि कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना व कराना तथा इस निमित्त ऋण, चन्दा, अनुदान, आदि प्राप्त करना।

26–परिवार नियोजन पर कार्य करना, इस हेतु विभिन्न स्थानो पर नसबन्दी शिविरों आदि का संचालन करना, टीकाकरण,डायबिटीज पल्स पोलियो, हेपेटाईटिस बी, आदि का शिविर लगाकर टीकाकरण कराना तथा अपंगता, ,कुष्ट एवं अन्धता निवारण केन्द्रों की स्थापना करना, लाईलाज बिमारियों जैसे – एड्स, कैन्सर आदि के बचाव हेतु उपायों को लोगों तक पहुँचाना व इनके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना तथा नित्य उत्पन्न होने वाली नई बिमारियों की जानकारी व उनके रोकथाम की उपाय लोगों को बताना।

27–नशा उन्मूलन पर कार्य करना तथा इसके प्रति युवाओं में जागरूकता पैदा करना तथा इस हेतु जगह–जगह नुक्कड़ सभा आदि का आयोजन करना व कराना। मेला प्रदर्शनी, उत्सव, महोत्सव, का आयोजन करना व कराना, पशुओं के क्रय–विक्रय का मेला आयोजित करना। नशीली दवा जागरूकता एवं परामर्श केन्द्रों की स्थापना करना एवं सबल डिस्पेंसरी की व्यवस्था हेतु अनुदान केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों आदि सरकारी ,गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त करना।

28–एन०जी०ओ० हेल्पलाइनों की स्थापना करना तथा उनके लिए शिक्षण प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना, राज्य सरकारों केन्द्र सरकार तथा विश्व बैंक एवं मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार– प्रसार करना व कराना। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाये जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना तथा इस हेतु अनुदान प्राप्त करना।

29–समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, लेखो, उपन्यासों आदि का प्रकाशन करना व कराना तथा इस हेतु प्रेस आदि स्थापित करना।

30–भूमि सुधार हेतु एवं भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भूमि सेना का गठन करवाकर कार्य कराना। पर्यावरण संरक्षण पर कार्य करना वन्य जीवों की सुरक्षा एवं जल जन्तुओं की सुरक्षा करना। वृक्षारोपण कराना व इस से लोगों को होने वाले लाभ बताना।

Secretary

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 190983

31–छोटे, लघु, कुटीर, घरेलू उद्योगों की स्थापना कराकर रूरल एरिया में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना।

32–भारत सरकार द्वारा निर्धारित कम्पनी ऐक्ट के अन्तर्गत विभिन्न कम्पनीज की स्थापना तथा भारी एवं हैवी उद्योगों की स्थापना व संचालन करना व कराना तथा इस हेतु वैतनिक या अवैतनिक कर्मचारी आदि की व्यवस्था प्रबन्ध करना।

33–राष्ट्रहित, समाजहित एवं वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या जल, थल और आकाश में किसी भी क्षेत्र में साहसिक कार्य करने वली प्रतिभाओं को विभिन्न पुरस्कारों से एवं सम्मान पत्रों के माध्यम से सुशोभित एवं सम्मानित करना। आदर्श व राजनैतिक व्यक्तियों को सम्मानित करना। इस ट्रस्ट द्वारा "उत्तर प्रदेश गौरव" आदि नामक सम्मान एवं पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

34–राजनैतिक पार्टी का गठन करना तथा नियमानुसार उसे चुनाव आयोग भारत के द्वारा पंजीकृत कराकर संचालित करना। अनेक संगठनों का गठन एवं संचालन करना व कराना तथा इसे छोटी–छोटी इकाईयों में विभक्त कर संचालित करना।

35–पेट्रोलियम पदार्थों जैसे–पेट्रोल, डीजल, कैरोसीन आयल, आदि के लिए पेट्रोल पम्पों आदि की स्थापना करना एवं एल०पी०जी० गैस आदि की ऐजेन्सी संचालित करना तथा ईंधन के श्रोतों जैसे– कोयला, लकड़ी आदि के संरक्षण एवं सदुपयोग हेतु कार्य करना एवं कराना।

36–कल–कारखानों की स्थापना एवं संचालन सम्बन्धित ऐक्ट के अनुसार करना।

37–वितिय संस्थानो, बैंको एवं वितिय कम्पनियों की स्थापना एवं संचालन रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के निर्देशानुसार करना व कराना तथा नेटवर्किंग सिस्टम से कम्पनी की स्थापना एवं संचालन कराना।

38–बालश्रम उन्मूलन, किशोर न्यायबोर्ड से जुड़कर कार्य करना तथा बालश्रमिकों को चिन्हित कर एवं बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराकर उन्हें शिक्षित करना एवं उनके रोजगार की व्यवस्था करना।

39–विशेष टास्क फोर्स का गठन कर बाल श्रम कराने वाली संस्थानों, दुकानो एवं देह व्यापार कराने वाले स्थानों पर रेड लाईट एरिया में छापा डालकर उन्हें मुक्त कराना एवं उनके कल्याण हेतु कार्य करना, सामुहिक विवाहों का शिविर लगाकर आयोजन करना। शासन प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचारों को जानने एवं उनसे मुक्ति हेतु खुफिया एजेन्सी का

रामभवन

प्राचार्य

दशरथ इन्स्टीट्यूट ऑफ ...

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 796890

गठन करना एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाकर अपने टास्क फोर्स या खुफिया एजेन्सी को उस विभाग की मदद हेतु भेजना या देना।

40–राष्ट्रद्रोही गतिविधियाँ, आतंकवाद, उग्रवाद आदि के खिलाफ़ मुहिम चलाना तथा ऐसी गतिविधियों का पता लगाकर खुलासा करना।

41–मानवधिकार संरक्षण पर कार्य करना तथा मानवधिकार से जुड़कर कार्य करना एवं उनके अनुपालन हेतु कटिबद्ध होना।

42–रेड क्रास सोसायटी से जुड़कर कार्य करना/मानव सेना का गठन करना जिसके द्वारा नागरिकों की सेवा, सहयोग और सुरक्षा की जा सके।

43–विश्व में स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने हेतु स्वास्थ्य चिकित्सा कार्यक्रम, ऐलोपैथिक, यूनानी व आयुर्वेदिक योगा, सिद्ध व स्थानीय जड़ी बूटीयों की पहचान प्रसार व प्रचार करना तथा औषधि निर्माण फार्मेशी की स्थापना करना।

44–सेमिनार, प्रशिक्षण, खेल–कूद आदि कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा विभिन्न स्थानों पर रात्रि निवास हेतु यात्री निवास गृह एवं होटल, ढाबा, होस्टल की स्थापना करना।

45–सूचना के तीव्र आदान–प्रदान हेतु सूचना केन्द्र, चैनल, सूचना विज्ञान केन्द्र, दूरदर्शन, आदि की स्थापना करना। डाक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण एवं प्रदर्शन एवं प्रचार व प्रसार करना।

46–सरकारी, अर्धसरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से कान्ट्रेक्ट पर लेकर छोटे बड़े भवन, पुल, पुलिया, मकान, दुकान, रास्ता, नाली, खड़न्जा, तारकोल लेपन कार्य कराना।

47–विभिन्न स्थानों पर मठ, मन्दिर, धार्मिक स्थल, चर्च, गिरजाघर, आश्रम, सेवा आश्रम, काम्पलेक्स आदि का निर्माण करना व कराना।

48–जल, स्थल व वायु मार्गों से यात्रा संसाधनों का विकास, उनके ठहराव, आवागमन संचालन की व्यवस्था करना।

रामजतन

प्राचार्य

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AA 796889

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

आर्थिक व अन्य प्रकार की मदद करना

49–प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत व बचाव कार्य करना तथा राष्ट्र व जनहित में आर्थिक व अन्य प्रकार की मदद करना ,क्रय–विक्रय ,संचालन ,प्रदर्शन

50–ऊर्जा के क्षेत्र में प्राकृतिक, अप्राकृतिक, वैकल्पिक ,ऊर्जा-बायो ग्रैस ,सौर आदि का उत्पादन

व प्रचार–प्रसार करना।

51–मानव अंगों की बिक्री, देह व्यापार आदि जैसे जघन्य अपराधों एवं घृणित कार्यों का पता लगाना एवं ऐसा करने वालों

और कराने वाले व्यक्तियों संस्थाओं आदि के प्रति दण्डित कराने का प्रयास करना व रोक लगाना।

52–लोकसेवकों ,जन प्रतिनिधियों, समाज सेवियों आदि लोगों की गतिविधियों पर भी ध्यान रखना व उनके द्वारा यदि जनता

का शोषण व भ्रष्टाचार को बढ़ाने की गतिविधियों में लिप्तता हो तो उनके खिलाफ आवाज उठाना।

53–विभिन्न स्थानों पर जनता सहायता केन्द्र खोलना जिसके माध्यम से आम नागरिकों को उनमें संवैधानिक, अधिकारों, कर्त्तव्यों आदि की जानकारी दी जा सके तथा उनकी आर्थिक, सामाजिक, तथा अन्य प्रकार से मदद की जा सके।

जनता एवं शासन प्रशासन के बीच सामन्जस्य स्थापित करना।

54–विभिन्न छोटे व बड़े औद्योगिक राजनैतिक, आर्थिक हस्तीयों का संगठन बनाकर ट्रस्ट परिषद के रूप में स्थापित करना एवं उनके सहयोग से क्षेत्र में विकास कार्य करना व कराना।

55–पशुओं, जंगली जानवरों, नाचर एवं जलचर जन्तुओं के रख रखाव व संरक्षण हेतु कार्य करना।

56–ग्राम्य विकास, कृषि के विभिन्न आयामों ,कृषकों के कल्याण ,कान्ट्रेक्टर फार्मिंग ,ग्रामीण उद्योग, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों, संस्कृति मंत्रालय आदि विषयों पर विस्तृत योजना बनाकर वृहद कार्य करना व कराना तथा इसके लिए ऋण, चन्दा , अनुदान आदि प्राप्त करना।

57– युवा मिलाप केन्द्रों की स्थापना करना, युवा परिचय सम्मेलन का आयोजन करना व इस हेतु युवक, युवतियों का सेमिनार गोष्ठी,सम्मेलन आदि का आयोजन करना।

Secretary
Dadhichi Institute of Medical Sciences
Dangoli (Mau) U.P.

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

AA 796887

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ट्रस्ट की नियमावली

1– ट्रस्ट का नाम : दशरथ वेलफेयर एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट

2– ट्रस्ट का पता – ग्राम व पोस्ट–डंगौली, तहसील– सदर ,जनपद–मऊ–275306(उ0प्र0)

3– ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष एवं विदेशो में भी ट्रस्ट कार्य कर सकेगा।

4– ट्रस्ट के सदस्य : सदस्यों के वर्ग एवं ट्रस्ट की समितियाँ निम्नलिखित है–

(अ)ट्रस्ट काउन्सिल – यह ट्रस्ट की विचार सभा है। इसमें निम्न प्रकार के सदस्य सम्मिलित होंगे।

गठन

(क) "आजीवन सदस्य (Life time members)" जो व्यक्ति ट्रस्ट को एक मुश्त रुपया 10000=00 देगा या. इसके मूल्य के बराबर चल या अचल सम्पत्ति ट्रस्ट के नाम से दान करेगा वह ट्रस्ट का आजीवन सदस्य होगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस राशि के अलावा उसे लगातार 10 वर्षो तक 5000=00 वार्षिक सदस्यता भी देना होगा किन्तु चीफ ट्रस्टी का यह विशेष अधिकार होगा कि अपने विवेकानुसार ट्रस्ट हित में बिना शुल्क के भी किसी व्यक्ति को आजीवन सदस्य बना सकेगा।

(ख) "वार्षिक सदस्य (Annual members) " ऐसे व्यक्ति जो संस्था हित में सोचते या कार्य करते रहेंगे और वार्षिक सदस्यता के रुपये ट्रस्ट को 5000=00 रू0 देते रहेंगे। वे ट्रस्ट के वार्षिक या साधारण सदस्य कहे जाएंगे।

रामजतन

प्राचार्य
दशरथ इन्स्टीट्यूट ऑफ
पैरामेडिकल साइंसेज ...

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 796886

(ग) विशिष्ट सदस्य (Special members): ट्रस्ट के प्रति हितैषी भाव रखने वाले सम्मानित साहित्यिक, राजनैतिक,कलाकार या अन्य किसी विशिष्ट गुणों से सम्पन्न व्यक्ति जो ट्रस्ट को विशेषतया आर्थिक सहयोग देंगे। उन्हें मुख्य ट्रस्टी या महानिदेशक सदस्य मनोनीत करेंगे तथा वे विशिष्ट या संरक्षक सदस्य कहे जा सकेंगे। यदि इन सदस्यों में से किसी सदस्य को पदाधिकारी बनाना होगा तो पहले उन्हें मुख्य ट्रस्टी द्वारा आजीवन सदस्य मनोनीत किया जाएगा। तत्पश्चात पदाधिकार दिया जा सकता है। ट्रस्ट कॉउन्सिल में ऐसे व्यक्ति अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। किन्तु उन्हें मताधिकार का प्रयोग नहीं करना होगा, किन्तु मुख्य ट्रस्टी चाहे तो उनमें से कुछ सदस्यों को आपातकाल या विशेष परिस्थितियों में मत देने का अधिकार दे सकता है। विशिष्ट या संरक्षक सदस्यों में से जिन्हें मुख्य ट्रस्टी द्वारा विशेष या आपातकालीन स्थिति में मत देने का अधिकार दिया जाएगा। उन्हें चीफ ट्रस्टी द्वारा तत्काल संस्थापक सदस्यों का दर्जा दिया जाएगा और वे ट्रस्ट काउन्सिल में उतना ही समय तक मताधिकार का प्रयोग करेंगे जब तक कि उन्हें मुख्य ट्रस्टी के द्वारा संस्थापक सदस्य या दर्जा प्राप्त होगा, उसके द्वारा यह दर्जा समाप्त किये जाने पर पुनः वे विशिष्ट या संरक्षक की भूमिका में आ जायेंगे।

(1) उपरोक्त प्रकार के सदस्यों के लिए निम्न अर्हताएं पूरा करना आवश्यक होगा:–

(a)– उनकी उम्र 18 वर्ष से कम ना हो।

(b)– उनकी मानसिक स्थिति ठीक हो।

(c)– प्रत्येक प्रकार के सदस्य ट्रस्ट के नियमों/विनियमों के अनुपालन हेतु कृत संकल्पित हैं।

(d)– वह भारत का नागरिक हो या किसी अन्य राष्ट्र का नागरिक होने की दशा में उस राष्ट्र में नागरिकता का विधिवत प्रमाण रखता हो। तथा ट्रस्ट के नियमों का पालन करता हो तो दो गवाहों के साक्ष्य से उसे भी ट्रस्ट की सदस्यता दी जासकेगी।

(e)– वह व्यक्ति जो किसी अपराधिक मामले में दण्डित न हुआ हो।

(f)– समाज का सम्मानित व्यक्ति हो।

(g)– पागल दिवालिया न हो।

(h)– किसी साधारण या संक्रमित रोगों से ग्रस्त न हो, यदि ऐसी स्थिति में किसी को सदस्य बनाना आवश्यक होगा तो ट्रस्टी अपने विवेक से ट्रस्ट हित में सदस्य बना सकता है किन्तु वे ट्रस्ट काउन्सिल की बैठक में भाग नहीं ले सकते हैं।

(i)– जो समाज के लिए आदर्श हो।

रामरतन

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AA 796888

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ट्रस्ट के व्यवस्थापक सभा (Legislative Trust council) – पदाधिकारीगण के नाम, पता, पद व्यवसाय जिनको ट्रस्ट के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है निम्नवत है–

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति	पता	आयु वर्ष	पद	व्यवसाय	ह0
[illegible]	रामजतन राजभर	स्व0 दशरथ राजभर	ग्राम पोस्ट –डगौली जनपद–मऊ 275306	39	मुख्यट्रस्टी/महानिदेशक	सामाजिक कार्य	
[illegible]	श्रीमती विमला राजभर	श्री रामजतन राजभर	ग्राम पोस्ट –डगौली जनपद–मऊ 275306	35	महासचिव/सेक्रेटरी	सामाजिक कार्य	
3	मोहन	श्री बदरी	ग्राम पोस्ट –डगौली जनपद–मऊ 275306	36	सदस्य/ट्रस्टी	सामाजिक कार्य	
[illegible]	श्रीमती मोनिता	श्री अनिल कुमार	ग्राम–श्यामपुर, पोस्ट–इन्दारा जिला–मऊ–275102	32	सदस्य/ट्रस्टी	सामाजिक कार्य	
[illegible]	अर्जुन	स्व0 दशरथ राजभर	ग्राम पोस्ट –डगौली जनपद–मऊ 275306	34	सदस्य/ट्रस्टी	सामाजिक कार्य	

उपरोक्त के अलावा ट्रस्ट के इस काउन्सिल में निदेशक(डाइरेक्टर), प्रबन्ध निदेशक, कानूनी सलाहकार तथा दो सदस्य बनाये जायेंगे। जिनको मुख्य ट्रस्टी अपने सुविधानुसार उचित समय पर नामित करेगा।

यह काउन्सिल ट्रस्ट की सर्वोपरि लेजिस्लेटिव काउन्सिल होगी तथा ट्रस्ट इसी काउन्सिल के द्वारा बनाये गये नियमों/विनियमों के द्वारा संचालित किया जायेगा। इसके अलावा ट्रस्ट में निम्न समितियों का गठन किया जायेगा।

1– ट्रस्ट काउन्सिल (ट्रस्ट की विचार सभा या साधारण सभा)

2– एक्जिक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल (ट्रस्ट की कार्यकारिणी या प्रबन्ध सभा)

3– ट्रस्ट बोर्ड (ट्रस्ट परिषद)

उक्त समितियों का गठन मुख्य ट्रस्टी स्वयं करेंगे या ट्रस्ट की लेजिस्लेटिव काउन्सिल के द्वारा गठन कर ट्रस्ट काउन्सिल के द्वारा अनुमोदित कराया जाएगा। जिनके अधिकार व कर्तव्य आगे दिये जायेंगे।

रामजतन

प्राचार्य

[illegible]

Dangali (Mau) U.P.

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

AA 796879

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(ख) ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थायों के खातो का संचालन संस्थाओं द्वारा गठित प्रबन्धकारिणी समिति के प्रबंधक/सचिव द्वारा किया जायेगा।

(13) "ट्रस्ट के नियमों/विनियमों में संशोधन की प्रकिया :– ट्रस्ट के नियमों/विनियमों में कोई भी संशोधन/परिवर्तन मुख्य ट्रस्टी कानूनी सलाहकार की सहमति से किया जा सकेगा तथा इसे लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल द्वारा अनुमोदन कराकर ट्रस्ट पर लागू किया जा सकेगा। किन्तु मुख्य ट्रस्टी स्वेछा से भी कोई परिवर्तन/संशोधन लागू कर सकेगा।

(14) ट्रस्ट के अभिलेख" ट्रस्ट के पास निम्न अभिलेख होंगे–

(क) सदस्यता रजिस्टर (ख) कार्यवाही रजिस्टर

(ग) सूचना पंजिका (घ) लेजर बुक, कैश बुक आदि जिसके रख–रखाव की संयुक्त जिम्मेदारी प्रबन्ध निदेशक एवं सचिव की होगी।

(15) दशरथ वेलफेयर एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट के संस्थापक धनराशि रु० 10000/(दस हजार) जिसका वह पूर्ण स्वत्वाधिकारी है वह ट्रस्ट के प्रारम्भिक कार्य हेतु हस्तान्तरित एवं अनुदानित करता है, जो ट्रस्ट की सम्पत्ति कही जाएगी, जिसका उपयोग न्यासीगण उपरिवर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग करेंगे।संस्थापक आज की तिथि से उक्त अनुदानित सम्पत्ति से प्रत्येक तरह के स्वत्व हक का त्यजन करता है।

(16) विघटन की कार्यवाही" ट्रस्ट का विघटन मुख्य ट्रस्टी द्वारा निर्धारित उत्तराधिकारी क्रम में होगा तथा इस हेतु मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सर्वोपरि होगा।

(17) ट्रस्ट में विवाद एवं उसका निपटारा– ट्रस्ट में किसी भी प्रकार के विवाद की मुकदमा सर्व प्रथम जनपद–मऊ न्यायालय में की जाएगी तथा उसकी पैरवी ट्रस्ट के लीगल एडवाइजर द्वारा अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AA 796878

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5) "कानूनी सलाहाकार (Legal Adviser)".

(क) ट्रस्ट की ओर से अदालती कार्यवाही करना।

(ख) ट्रस्ट के उत्पन्न विवादों को निपटारा एवं पैरवी करना।

(ग) ट्रस्ट के संगत धाराओं स्मृति पत्र नियमावली आदि में सोधन/परिवर्तन/परिष्करण आदि करना किन्तु इस हेतु मुख्य की सहमति आवयक होगी।

(घ) ट्रस्ट की ओर से न्यायालयी कार्यवाही करने हेतु वैतनिक/अवैतनिक कर्मचारी/पदाधिकारी नियुक्त करना।

(ङ) किसी भी विवादास्पद स्थिति में उचित कानूनी सलाह देना।

(च) शेष ये सभी कानूनी एवं न्यायिक कार्य जो मुख्य ट्रस्टी द्वारा सौंपा जाय।

(9) "एक्सक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल का गठन" यह ट्रस्ट की कार्य सम्पादनी सभा होगी जो कि विभिन्न कार्यो हेतु लेजिस्लेटिव ट्रस्टीद्वारा किया जाएगा। विभिन्न कार्य सम्पादनी सभा अपने निर्धारित उद्देश्यों हेतु विभिन्न बैंकों में खाते आदि का संचालन मुख्य ट्रस्टी/ महानिदेशक की अनुमति से करेगी। इन खातों का संचालन मुख्य ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति करेगा।

(10) "ट्रस्ट बोर्ड(ट्रस्ट परिषद)" यह ट्रस्ट के विस्तार हेतु ट्रस्ट के कार्य क्षेत्रों में सुचारू रूप से कार्य सम्पन्न कराने हेतु ट्रस्ट के विभिन्न परिषदों का गठन किया जाएगा जो कि ट्रस्ट की व्यवस्थापक सभा जैसा भी उचित समझेगी ट्रस्ट बोर्डों का गठन करेगी तथा उसके हेतु नियम कानून आदि बनायेगी। विभिन्न ट्रस्ट ,बोर्ड ,सोसायटीज का अपना-अपना खाता विभिन्न बैंकों में मुख्य ट्रस्टी के आदेशानुसार खोलेंगे एवं संचालन करेंगे। इन खातों का संचालन ट्रस्ट बोर्ड अथवा सोसायटीज का प्रबंधक/सचिव व चीफ ट्रस्टी द्वारा नामित सदस्य करेंगे।

(11) "आय-व्यय का लेखा" प्रत्येक वर्ष ट्रस्ट के आय-व्यय का आगणक किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से कराया जाएगा एवं मुख्य ट्रस्टी द्वारा लेजिस्लेटिव काउन्सिल को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(12) "ट्रस्ट की निधियॉ" (क) नकद या सरकारी प्रतिभूतियाँ अथवा जमींदारी विनाशबन्धों के रूप में प्रभूति निधि (इन्वेस्टमेण्ट) या रक्षितनिधि बैंक या डाकघर के खातों में रखी जाएगी। इन खातों का संचालन मुख्यट्रस्टी/महानिदेशक तथा महासचिव/सेक्रेटरी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता।

प्रमाणित [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 796880

(ङ) एक्सक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल पर नियंत्रणरखना तथा अनेक प्रोजेक्टों व अन्य कार्यों हेतु विभिन्न एडिशनल (तहा ऊ) एक्सक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल का गठन करना,उनमें आवश्यकतानुसार पद सृजित करना,पदों हेतु योग्यता का निर्धारण करना।

(च) एक्सक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल में कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों से कार्य लेना, उनके सेवा व शर्तें आदि का निर्धारण करना तथा उन्हें वेतन आदि की व्यवस्था करना।

(छ) निदेशक के आदेशानुसार ट्रस्ट परिषद का गठन करना एवं उनके अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण करना।

(ज) ट्रस्ट परिषद में वैतनिक व अवैतनिक कर्मचारियों/पदाधिकारियों की नियुक्ति आदि की व्यवस्था करना।

(झ) अन्य कार्य जैसा कि समय–समय पर मुख्य ट्रस्टी का निर्देश हो।

(4) "महासचिव(Secretory)"

(क) मुख्य ट्रस्टी/महानिदेशक/निदेशक/मैनेजिंग डाइरेक्टर के आदेश पर बैठकों की सूचना प्रसारित करना/नोटिस देना आदि।

(ख) बैठकों की कार्यवाही लिखना एवं बैठकों की अध्यक्षता कर रहे अधिकारी से प्रमाणित कराकर सुरक्षित रखना।

(ग) रसीद एवं बहियों का निरीक्षण करना तथा उनकी सुरक्षा करना।

(घ) ट्रस्ट काउन्सिल व लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल का एक महासचिव होगा जो इनके लिए कार्यकरेगा तथा एक्सक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल, एवं ट्रस्ट परिषदों के लिए अलग–अलग सचिव होंगे एवं ट्रस्ट के जिस भाग हेतु सचिव नियुक्त किया जाएगा सिर्फ उसी भाग का कार्य कर सकेगा किन्तु यदि चीफ ट्रस्टी चाहे तो किसी भी सचिव से कोई भी कार्य ले सकता है

(ङ) ट्रस्ट के कोष पर मुख्य ट्रस्टी के आदेशानुसार या सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार नियंत्रण रखना।

रामजतन

प्रभारी

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 796877

(ग) ट्रस्ट के लिए चल/अचल सम्पत्ति, भूमि–भवन आदि का क्रय–विक्रय करना।

(2) निदेशक–

(क) ट्रस्ट में कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति/दण्डित करना तथा उनसे कार्य ट्रस्ट हित में लेना महानिदेशक के आदेशानुसार उन से कार्य कराना।

(ख) ट्रस्ट के लिए अन्य स्रोतों से धन एकत्रित करना।

(ग) ट्रस्ट की सम्पत्तियों की सुरक्षा करना।

(घ) ट्रस्ट काउन्सिल एवं लेजिस्लटिव ट्रस्ट काउन्सिल के प्रति उत्तरदायी होना।

(ङ) ट्रस्ट परिषदों पर नियंत्रण रखना।

(च) ट्रस्ट की ओर से मेम्बरशिप सर्टिफिकेट जारी करना।

(छ) किसी भी प्रकार की बैठक की सूचना सचिव के माध्यम से जारी करना।

(ज) ट्रस्ट की ओर से पत्राचार करना।

(झ) अन्य कोई भी वह कार्य जो ट्रस्ट हित में चीफ ट्रस्टी द्वारा सौंपा जाय। उसका अनुपालन करना।

(3) प्रबन्ध निदेशक

(क) ट्रस्ट हेतु चन्दा दान इत्यादि स्रोतों से धन इकट्ठा करना।

(ख) मुख्य ट्रस्टी द्वारा दिये गये सभी अधिकारों, कर्तव्यों का पालन करना व कराना।

(ग) बैठकों की सूचना सेक्रेटरी द्वारा प्रसारित करना।

(घ) ट्रस्ट की ओर से पत्राचार करना।

रामगोविन्द

प्राचार्य
[illegible] इन्स्टीट्यूट ऑफ
[illegible] साइंसेज [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 796876.

(8) "लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल के पदाधिकारियों के अधिकार, कर्तव्य तथा कृत्य"–

(1) "मुख्य ट्रस्टी या महानिदेशक"

(क) सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।

(ख) ट्रस्ट की चल–अचल सम्पत्तियों की देखभाल करना ट्रस्ट में कर्मचारियों का निरीक्षण करना।

(ग) विवादों की स्थिति में निर्णायक मत देना। किसी भी विवाद की स्थिति में मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सर्वोपरि होगा।

(घ) बैठकों में शान्ति कायम करना।

(ङ) विशेष बैठकों के आयोजन हेतु सेकेटरी को आदेश देना।

(च) ट्रस्ट काउन्सिल एवं लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल की बैठक हेतु सेकेटरी को आदेश देना।

(छ) ट्रस्ट हेतु चन्दा, दान, सहयोग, आदि श्रोतों से धन इकट्ठा करना एवं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ट्रस्ट का खाता खोलकर उसका संचालन करना एवं आवश्यकतानुसार ट्रस्ट काउन्सिल/लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल के किसी पदाधिकारी को बैंक के खाते को सहसंचालित / संचालित करने हेतु नामित करना।

(ज) बैठकों को सुविधानुसार बुलाना, स्थगित करना एवं परिवर्तन करना या अनुमोदन करना।

(झ) कर्मचारियों की नियुक्ति/कार्य मुक्ति/पदोन्नति/दण्डित करना, सेवा पुस्तिका एवं आचरण पंजी को एवं हस्ताक्षरित करना एवं इस हेतु अन्य को भी अधिकार देना।

(ञ) ट्रस्ट के नियमों/विनियमों में संशोधन/परिवर्तन आदि करना तथा ट्रस्टहित में अन्य लिये गये निर्णगों को सचिव के माध्यम से लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल में अनुमोदित करना एवं ट्रस्ट काउन्सिल को अवगत कराना।

(ट) ट्रस्ट हित में सभी प्रकार का सर्वाधिकार सुरक्षित रखना एवं निर्णय लेना। ट्रस्ट काउन्सिल में सदस्य नामित करना एवं लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल में पदाधिकारी नामित करना जबकि घयनित हो या आकस्मिक स्थिति हो।

(ठ) एक्सक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल का गठन करना एवं ट्रस्ट परिषदों का गठन करना एवं उनके लिए नियम बनाना व उसे लागू करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 796881

(f) "लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल के कर्तव्याधिकार तथा कृत्य"

(क) बजट का विचार करना और उसे स्वीकृत करना।

(ख) एक्सक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल का गठन व संचालन करना।

(ग) ट्रस्ट बोर्डों का गठन कर उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित करना व उन पर नियंत्रण रखना।

(घ) ट्रस्ट के नियमों/विनियमों/संगत धाराओं आदि में संशोधन/परिवर्तन/परिमार्जन आदि 2/3 बहुमत से करना किंतु इस मामले में यदि चीफ ट्रस्टी व लीगल एडवाईजर भी मिलकर चाहें तो वह संशोधन कर सकते हैं। तथा इन संशोधनों से ट्रस्ट काउन्सिल को अवगत कराना होगा।

(ङ) ट्रस्ट के चल–अचल सम्पत्ति की देखभाल व सुरक्षा करना।

(च) ट्रस्ट की ओर सभी प्रकार का पत्राचार आदि जो कि सचिव के माध्यम से होगा की जानकारी रखना।

(छ) वैतनिक व अवैतनिक कर्मचारियों पदाधिकारियों की नियुक्ति/कार्य मुक्ति/पुरस्कृत/दण्डित करना तथा यदि वैतनिक कर्मचारी हो तो उनकी आचरण पुस्तिका व सेवा पुस्तिका आदि का निर्माण व समीक्षा करना

(ज) ट्रस्ट के लिए सम्पत्ति जुटाना।

(झ) ट्रस्ट से विभिन्न प्रोजेक्ट आदि का संचालन करना, अन्य संस्थानों आदि से सम्बद्धता प्रदान करना।

(ञ) ट्रस्ट की बजट में सम्मिलित किये जाने हेतु ट्रस्ट से संबद्ध अन्य संस्थानों/समितियों से सम्बन्धित नई माँगों की अनुसूचियों को देखना जिन्हें उसने सम्बद्धता प्रदान की हो, यदि वह उचित समझे तो उसे पास करना या ट्रस्ट काउन्सिल में विचारार्थ भेजना।

(ट) उक्त सभी अधिकार व कर्त्तव्य अकेले मुख ट्रस्टी में भी सम्मिलित होगा और व सर्वोपरि होगा।

राजभारतम्

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

भारत

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 796883

गण में वरीयता कम चीफ ट्रस्टी द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा तथा चीफ ट्रस्टी के नहीं रहने पर ट्रस्ट का अधिकार पूर्व चीफ ट्रस्टी द्वारा निर्धारित उत्तराधिकार के कम में होगा।

(2)" निदेशक (Director)" ट्रस्ट की व्यवस्थापक (प्रबन्ध सभा) सभा में एक निदेशक होगा जिसका चयन नियमावली के धारा 4 के वर्णित उपधारा (क), (ख) व (ग) के सदस्यों में से किया जाएगा। जो कि चुनाव प्रकिया के द्वारा 2/3 बहुमत के कुल सदस्यों में किया जाएगा, किन्तु यदि मुख्य ट्रस्टी चाहे तो स्वतः उनमें से किसी को या बाहरी व्यक्ति को भी इस हेतु मनोनीत कर सकता है। इस हेतु मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सर्वोपरि होगा।

(3) "प्रबन्ध निदेशक (Managing Director)" लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल में एक प्रबंध निदेशक होगा जिसका चयन ट्रस्ट काउन्सिल में लिखित धारा 4 के उपधारा (क), (ख) व (ग) के वर्णित सदस्यों में से 2/3 बहुमत से किया जाएगा या उन्हीं सदस्यों में से मुख्य ट्रस्टी द्वारा नामित कर दिया जाएगा जो कि ट्रस्ट काउन्सिल में सर्वमान्य होगा।

(4) "महासचिव (Secratory)" लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु लेखा जोखा आदि कार्यों को देखने हेतु एक महासचिव होगा जो शिक्षित हो इस पद पर मुख्य ट्रस्टी/महानिदेशक अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति का चयन कर सकेगा तथा यदि वह व्यक्ति ट्रस्ट काउन्सिल से किसी भी प्रकार की सदस्यता नहीं रखता हो तो उसे ट्रस्ट काउन्सिल में विशिष्ट/ संरक्षक सदस्य मान लिया जाएगा तथा नामित कर इसे लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल द्वारा अनुमोदित कराया जाएगा और पुनः इसकी सूचना ट्रस्ट काउन्सिल को दी जाएगी ऐसे सेकेटरी का चयन/ मनोनयन ट्रस्ट काउन्सिल के सदस्यों में से या उनसे बाहरी व्यक्ति का भी किया जा सकता है। इसके लिए मुख्य ट्रस्टी निर्णय अन्तिम होगा।

(5) "कानूनी सलाहकार (Legal Adviser)" ट्रस्ट के विधिक किया-कलापों/कार्यों के संचालन हेतु एक लीगल एडवाइजर का चयन किया जाएगा, जो विधिक जानकारी के साथ ही ट्रस्ट एवं ट्रस्ट में लिखित धाराओं का विशेष जानकारी रखता हो और ट्रस्ट में किसी भी प्रकार के विवाद की पैरवी व निपटारा करेगा। इस पद पर भी मुख्य ट्रस्टी/महानिदेशक द्वारा नामित किया जाएगा या ट्रस्ट काउन्सिल से भी चयनित किया जा सकता है, किन्तु यदि नामित व्यक्ति कोई बाहरी व्यक्ति हो तो वह स्वतः ट्रस्ट काउन्सिल का विशिष्ट/संरक्षक सदस्य मान लिया जाएगा और उसे नामित कर लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल से अनुमोदित कराकर इसकी सूचना ट्रस्ट काउन्सिल को दे दिया जाएगा।

(signature)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 796885

(2) "सदस्यता की समाप्ति"

(a) मृत्यु होने पर।

(b) पागल अथवा दिवालिया होने पर।

(c) ट्रस्ट के प्रति अनिष्टकारी कार्य करने पर ।

(d) त्यागपत्र देने या अविश्वास प्रस्ताव आने पर। इस दशा में चीफट्रस्टी का निर्णय सर्वोपरि होगा।

(e) बिना किसी सूचना के लगातार तीन बैठकों में उपस्थित न होने पर।

(f) ट्रस्ट के नियमों का पालन न करने पर या नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर किन्तु जो सदस्य शुल्क से मुक्त है। उन पर यह धारा लागू नहीं होगी।

(g) किसी न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर सदस्यता बिना किसी सूचना या नोटिस के स्वतः निलम्बित हो जाएगी।

(3) " ट्रस्ट काउन्सिल की बैठकें" : वर्ष में दो बार मार्च व सितम्बर माह में होगी या मुख्य ट्रस्टी के बुलाने पर कभी भी।

(4) सूचना अवधि " ट्रस्ट काउन्सिल की समस्त बैठक की सूचना सभी सदस्य को लिखित रूप से 10 दिन पूर्व दी जायेगी। आपातिक या विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व किसी भी त्वरित माध्यम से दी जाएगी।

(5) "गणपूर्ति" : ट्रस्ट काउन्सिल की गणपूर्ति के लिए चीफट्रस्टी तथा ट्रस्ट काउन्सिल के प्रत्येक प्रकार के सदस्यों में से 3 सदस्यों की उपस्थित हो तो गणपूर्ति मान ली जाएगी।

(6) "ट्रस्ट काउन्सिल के कर्तव्य"

(a) लेजिस्लेटिव व ट्रस्ट काउन्सिल एवं एक्जक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल का गठन एवं चुनाव करना। किन्तु इसमें मुख्य ट्रस्टी की सहमति आवश्यक है तथा उसके द्वारा अनुमोदन भी जरूरी होगा। (मुख्य ट्रस्टी चुनाव से मुक्त आजीवन ट्रस्टी है)

(b) लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल द्वारा पारा किये गये प्रस्तावों का अनुमोदन करना, उनपर विचार करना या उन्हें स्थगित करना, या पुनर्विचार के लिए वापस करना।

Secretary

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये — FIFTY RUPEES

रु.50 — Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 796882

(6) "सदस्य (Member) या सहायक ट्रस्टी (Trustv)" ट्रस्ट में कम से कम एक या एक से अधिक लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल के मेम्बर होंगे जिनकी संख्या का निर्धारण मुख्य ट्रस्टी करेगा तथा मेम्बर ही मुख्य ट्रस्टी के उत्तराधिकारी व सहायक ट्रस्टी कहे जायेंगे। आवश्यकतानुसार इनकी संख्या मुख्य ट्रस्टी घटा या बढा सकता है तथा ट्रस्ट की हिस्सेदारी भी मुख्य ट्रस्टी निर्धारित करेगा। ये सदस्य/सहायक ट्रस्टी भी ट्रस्ट काउन्सिल के धारा 4 (अ) के उपधारा (क), (ख) व (ग) में से किसी भी प्रकार की सदस्यता रखें यह जरूरी है।

(7) (a) "ट्रस्ट की व्यवस्थापक सभा (Legisletive trust council) की बैठकें" लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल की बैठक हर तीसरे महीने हुआ करेगी तथा जरुरत पड़ने पर चीफ ट्रस्टी द्वारा कभी भी आवश्यक बैठक बुलायी जा सकती है।

(b) "बैठकों की सूचना अवधि" साधारण बैठक की सूचना सामान्यतया एक सप्ताह पूर्व लिखित रूप से सदस्यों/पदाधिकारी गण को दी जाएगी तथा आपात कालीन बैठक की सूचना किसी भी त्वरित माध्यम से 12 से 24 घण्टे के अन्दर दी जाएगी।

(c) "गणपूर्ति" लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल की गणपूर्ति मुख्य ट्रस्टी के अलावा दो अन्य सदस्यों की उपस्थिति से ही मान ली जाएगी तथा मुख्य ट्रस्टी अकेले भी कोई निर्णय लेने में सक्षम होगा। बशर्ते इसकी सूचना बाद में लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल को देना अनिवार्य होगा।

(d) लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल का कार्यकाल " लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल का कार्यकाल सामान्यतया 7 वर्ष का होगा, किन्तु मुख्य ट्रस्टी/महानिदेशक अपना पद आजीवन धारण करेगा। उसे कभी भी नहीं बदला जा सकेगा।

(e) "रिक्त स्थानों की पूर्ति" लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल में रिक्त स्थानों की पूर्ति काउन्सिल के शेष सदस्यों में से 1/3 बहुमत के किया जायेगा या मुख्य ट्रस्टी/ महानिदेशक द्वारा शेष समय के लिए नामित कर इसे लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल में 2/3 बहुमत से अनुमोदित कराकर इसकी सूचना सचिव के माध्यम से ट्रस्ट काउन्सिल को दे दिया जायेगा।

रामजतन

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

₹.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AB 324032

[illegible]

प्राचार्य
[illegible]
[illegible]
[illegible]

गवाह 1 — रविन्द्र कुमार S/o श्री शिवचंद्री राजभर सा॰ मार्फा, पो॰ कोपागंज
थाना कोपागंज, तहसील सदर, जिला मऊ

साक्षी — अनिल कुमार S/o श्री तेजबहादुर राम ग्रा॰ - [illegible] पो॰ - मऊ
थाना - [illegible], त॰ - सदर, जिला - मऊ